जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24.12.2024

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 95 वाहनों से 97,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 95 वाहनों से 97,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के संबंध में 03 अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष के परिवीक्षा बनाये रखने हेतु 20000-20000 रु0 के व्यक्तिगत बन्धपत्र पर छोड़ा गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 24.12.2024 को *मा0 न्यायालय जे0एम0 स0क0न0* द्वारा **थाना धनघटा** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 313/2001 धारा 323,504 भा0द0वि0 के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता 01. रामचन्दर पुत्र रामलखन, 02. धनन्जय पुत्र भालचन्द पाण्डेय, 03. मुसई उर्फ दिलीप पुत्र रामचन्दर निवासीगण मूडाडीह थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा 323 भा0द0वि0 के दहत प्रत्येक अभियुक्तगण को 20000-20000 रु0 का निजी बन्धपत्र समान धनराशि के दो-दो प्रतिभू जिला प्रोबेशन अधिकार संतकबीरनगर के समक्ष दो सप्ताह के अन्दर दाखिल करने पर 01-01 वर्षों की परिवीक्षा पर निम्न शर्तो के अधीन छोड़ा जाए।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, पीड़िता/अपहृता बरामद

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री सतीश कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 613/24 धारा 137(2)/87/61(2) बी0एन0एस0 के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता संदीप शर्मा पुत्र स्व0 प्रभूनाथ शर्मा निवासी बंधवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मेहदावल बाइपास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा थाना कोतवाली खीलाबाद पर उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता/अपहृता को बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री दिलीप कुमार सिंह, हे0का0 हरिप्रकाश, म0का0 दुर्गावती खरवार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या का प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल ***श्री रामकृपाल सिंह*** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 385/2024 धारा 109 बी0एन0एस0 में वाँछित अभियुक्ता निवासिनी उत्तर पट्टी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को बाराखाल तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा उक्त अभियुक्ता द्वारा वादिनी की पुत्री को जान से मारने के प्रयास के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 23.12.2024 को प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्ता को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- उ0नि0 श्री विजय कुमार सिंह, का0 धर्मेन्द्र यादव, म0का0 अनुराधा भारती।